UPBL010018092024

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं01 बलिया।

प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या—798 / 2024

सनी वहेलिया पुत्र हरेन्दर वहेलिया साकिन टकरसन, थाना बासडीह रोड़, जिला बलिया। ....आवेदक

बनाम

उ.प्र.सरकार ....विपक्षी

मुकदमा अपराध सं0—75 / 2024
धारा—401,411 भा0दं0सं0 व 4 / 25 आयुध अधि0
थाना—बांसडीह रोड़, जिला— बलिया।

<u>दिनांक—24.04.2024</u>

1— आवेदक / अभियुक्त सनी वहेलिया की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

2— संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.04.24 उ0नि0 रमेश चन्द्र शुक्ला मय हमराही थाना हाजा से प्रस्थान कर रात्रिग्रस्त,चेकिग संदिग्ध व्यक्ति में मासूर होकर टकरसन बाजार में मौजूद था कि जरिए मुखबिर खास द्वारा आकर बताया गया कि दो व्यक्ति टकरसन पेटोल पम्प के पीछें स्थित बगीचे में बैठकर चोरी की योजना बना रहे है जिसके पास चोरी करने के औजार भी है। मुखबीर खास की सूचना पर विश्वास करते हुए मुखबीर की बात को हमराही कर्मचारी से अवगत कराते हुए मुखबीर खास को साथ लेकर पेटोल पम्प टकरसन पर आया। मुखबीर खास द्वारा बगीचे में स्थित आम के पेड़ के पीछे बैठें दो व्यक्तियों की ओर इशारा करके वापस चला गया, जहां से मोबाइल की हल्की रोशनी आ रही थी। हम पुलिस वाले छुपते छुपते आम के पेड़ के पीछे पहुंचे। दोनो व्यक्तियों की बाते सुनकर हिकमत अमली से घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर कर चोरी की योजना बना रहे दोनो व्यक्यिों को पकड़ लिया गया। पकडे गये व्यक्तियो का नाम पता पुछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम सनी बहेलिया पुत्र हरेन्द्र बहेरिया उम्र 24 वर्ष निवासी टकरसन, थाना बांसडीह रोड़, जिला बलिया जिसकी नियमानुसार तलासी ली गयी तो पहने हुए ब्लेक रंग के जिन्स के जेब से 1600 / — जिसमें जिसमें 500 / — के तीन नोट व 100 / — का एक नोट व जीन्स के दाहिने जेब से एन्डाइड मोबाइल टेकनो स्पार्क कम्पनी रंग आसमानी कवर रेड ब्लैक बरामद हुआ।तथा जिन्स के बायी तरफ कमर में खोसा हुआ काली प्लास्टिक के अन्दर एक अदद नाजायज चाकू बरामद हुआ। सनी वहेलिया से चाकू रखने के बावत कागजात मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा तथा अन्य बरामद सामान व छिपने काकारण कड़ाई से पूछा गया तो दोनो ने बताया कि हम दोनो चोर है चोरी करने की फिराक में योजना थी इसके पहले हमने

विभूतिनगरा परिखरा में 5/6.2.24 की रात मे दों घरो में चोरी किये है एक में कुछ नहीं मिला, दूसरे में करीब 5000/– से अधिक मिला। जिसे हम लोग आपस में बाट लिये। अभियुक्त को धारा 401,411 भा.द.स. व 4/25 अपराध का बोध करते हुए 4.05 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी प्रथम मौके पर तैयार किया गया ।घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना स्थानीय पर दर्ज करायी गयी। दिनांक 05.04.2024 को ही दौरान विवेचना उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तग मौके पर गिरफ्तार किया गया।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, वह निर्दोष है। प्रधानी के चुनाव की रजिंश कोलेकर वर्तमान प्रधान को वोट नहीं देने के वजह से वर्तमान प्रधान पुलिस को अपने साजिश में करके गलत तरीके से आवेदक को घर से पकड़ कर चालान कर दिया है। आवेदक के पास से किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं हुई है, तथाकथित दर्शाये गये रूपये व मोबाइल की बरामदगी गलत एवं फर्जी है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 05.04.2024 से जिला कारागार बलिया में निरूद्व है। आवेदक एक मजदूर किस्म का व्यक्ति है, मजदूरी करके अपने परिवार की जीविका चलाता है। आवेदक को जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरूपयोग करने या मनमानी की कोई सम्भावना नहीं है। अतः आवेदक को जमानत मुचलिका पर रिहा किया जाय।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुये कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। यदि उसका जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके द्वारा पुनः इस प्रकार का अपराध किये जाने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाये।

5– मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

6– आवेदक/अभियुक्त दिनांक 08.04.2024 से न्यायिक अभिरक्षा में है। बरामदगी अमल में लायी जा चुकी है। उसका नाम पुलिस के समक्ष किये गये जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर प्रकाश में आया है।

मामले के सम्पूर्ण तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त करं जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सनी वहेलिया को मु0अ0सं0–75/2024, धारा– 401, 411 भा0दं0सं0, व 4/25 आयुध अधिनियम थाना–बासंडीह रोड़ जिला बलिया के मामलें में अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/– (पच्चास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो जमानतें सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर निम्न शर्तो के अधीन रिहा किया जाय।

1— वह विचारण में सहयोग करेगा।

2— वह किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षीगण को डरा धमका कर प्रभावित करेगा।

(नरेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं01
बलिया।

दिनांकः—24.04.2024
Steno- neeraj singh